46413/2022

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP32811891308334U
Certificate Issued Date	:	02-Jul-2022 04:27 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14246104/ AKBARPUR SADAR/ UP-AMB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14246104574609184326O9U
Purchased by	:	MAA SHANTI E T L P C K ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	GATA NO-353 MAUJA-PEETHAPUR TEH-AKBARPUR DISTT-AMBEDKAR NAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DAYARAM VERMA M P K K C ABN M T RAM SHIROMANI VERM
Second Party	:	MAA SHANTI E T L P C K ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Stamp Duty Paid By	:	MAA SHANTI E T L P C K ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	9,000 (Nine Thousand only)

E-STAMP LOCKED

SUB REGISTRAR
AKBARPUR AMBEDKAR NAGAR

Please write or type below this line

रामशिरोमणि

रामशिरोमणि

0006033368

Statutory Alert:

लीज डीड (पटटा विलेख) तीस वर्ष
लीज डीड 30 वर्ष मासिक किराया मु0 6,000/– रूपया वार्षिक किराया
मु0 72,000/– रूपया स्टाम्प कीमती मु0 9,000/–
ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सख्या IN-UP32811891308334U
सहित पन्ना 2 से 7 तक संलग्न है।

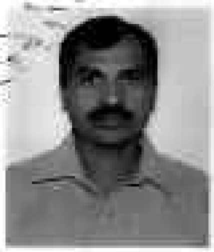

हम कि दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीथापुर, कटेहरी, कुढ़िया चितौना अकबरपुर अम्बेडकरनगर द्वारा संचालित माँ शान्ती एजूकेशनल ट्रस्ट लखैचनपुर प्रतापपुर चमुर्खा, कटेहरी, अम्बेडकरनगर द्वारा अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा पुत्र स्व0 दयाराम वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद

अम्बेडकरनगर आधार नम्बर XXXX XXXX 4926, मोबाइल नम्बर 9838127700, पैन नम्बर XXXXX8565C प्रथम पक्ष व माँ शान्ती एजूकेशनल ट्रस्ट, लखैचनपुर पोस्ट प्रतापपुर चमुर्खा, कटेहरी परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा पुत्र स्व0 दयाराम वर्मा ग्राम लखैचनपुर, प्रतापपुर चमुर्खा परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उ0प्र0) आधार नम्बर XXXX XXXX 4926, मोबाइल नम्बर 9838127700, पैन नम्बर XXXXX8565C द्वितीय पक्ष विदित हो कि भूखण्ड संख्या 353 में अपना सम्पूर्ण अंश रकबा 3350 वर्गमीटर जिसमें 2000 वर्गमीटर में शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, हाल, प्रशासनिक भवन, शौचालय आदि निर्मित है।

जिसकी चौहद्दी –

पूरब	–कृषि भूमि दयाराम वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय
पश्चिम	–खेत राम अकबाल
उत्तर	–खेत मुख्तार अहमद व अली हसन
दक्षिण	–सड़क श्रवण क्षेत्र से ग्राम कदनापुर सम्पर्क मार्ग

रामशिरोमणि

रामशिरोमणि

जो स्थित ग्राम **पीथापुर** पोस्ट कुड़िया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर चूंकि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित दयाराम वर्मा कालेज आफ फार्मेसी पीथापुर का निर्माण/संचालन एव शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु भूमि की आवश्यकता है इसलिए अपनी आवश्यकताओं का जिक्र प्रथम पक्ष से किया और वे द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्त पर अपनी उपरोक्त अकृषिक भूखण्ड को मासिक किराये पर देने को तैयार हो गये। धारा-1-यह कि उक्त भूमि नगर पालिका बाहर है को मु0 6,000/- रूपया मासिक किराया तथा वार्षिक किराया मु0 72,000/- रूपया होता है में 30 वर्ष के लिए लीज पर देने के लिए तय पाया गया है। धारा-2-यह कि तयशुदा मासिक किराया द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह की पहली तारीख को अदा करता रहेगा और प्रथम पक्ष जरिये रसीद किराया प्राप्त करता रहेगा। धारा-3-यह कि प्रथम पक्ष अन्दर मियाद 30 वर्ष तक द्वितीय पक्ष के स्वत्व व अधिकार/अधिवास में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। धारा-4-यह कि वाद बीतने मियाद 30 वर्ष द्वितीय पक्ष लीजशुदा सम्पत्ति को यथावत प्रथम पक्ष के हवाले कर

राधेश्याम मिश्र

राधेश्याम मिश्र

देगा। धारा–5–यह कि द्वितीय पक्ष अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा उपरोक्त भूखण्ड जो नगर पालिका के बाहर है यदि उभय पक्ष सहमत होते हैं तो लीज की अवधि भविष्य में बढ़ाई जा सकेगी किन्तु नवीनीकरण तभी मान्य होगा जब पक्षकारगण उचित स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क अदा करके नवीन लीज विलेख पंजीकृत करायेंगे, प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। धारा–6–यह कि इस लीज की वैधता 02.07.2022 ई0 से 01.07.2052 ई0 30 वर्ष तक विधिमान्य रहेगी। धारा–7–यह कि तयशुदा मासिक किराया द्वितीय पक्ष नियमित रूप से अदा करता रहेगा तथा किराया न देने अथवा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के कब्जा व दखल में

व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होगा कि न्यायहित में वाद प्रस्तुत कर सकता है। धारा–8–यह कि किरायेदारी दयाराम वर्मा कालेज आफ फार्मेसी पीथापुर कुड़िया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर अम्बेडकर नगर के शिक्षा के प्रचार–प्रसार, निर्माण/संचालन करने हेतु रहेगा उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं हो रहा है जो बशक्ल आबादी है। अतएव पक्षकारों ने खूब समझ बूझ कर बिना किसी जोर दबाव के वार्षिक किराया मु0 72,000/– रूपया पर 6 गुना यानि मु0 4,32,000/– रूपया पर नगर पालिका बाहर होने के कारण से 2 प्रतिशत स्टाम्प

मु0 9,000/– रूपया का अदा किया जा रहा है अतएव यह लीजडीड लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 02.07.2022 ई0 टाइपकर्ता सन्तोष कुमार विश्वकर्मा, लेखपत्र तैयारकर्ता विनोद कुमार तिवारी दस्तावेज लेखक उपनिबन्धक कार्यालय अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर उजरत नियमानुसार प्राप्त किया।

रामाधीश मौर्य

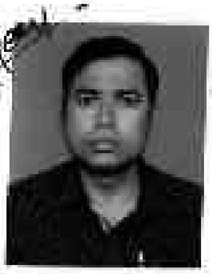

संजीव कुमार S/o राजबहादुर वर्मा
ग्रा०- प्रतापपुर चतुर्थी कटेहरी अम्बेडकरनगर
9838655888

अंजय वर्मा S/o रंजीत वर्मा
ग्रा० धामपुर ...
अयोध्या
9670741010

दस्तावेज लेखक का नाम विनोद कुमार
अनुज्ञप्ति संख्या 4/2011 दि० 31-3-24
विद्यमान तहसील अकबरपुर जिला-अम्बेडकरनगर
पारिश्रमिक रुपया .... द्वारा ....
हस्ताक्षर दस्तावेज लेखक .... दिनांक 2-7-2022

आवेदन सं०: 202200910005853

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 6606 के पृष्ठ 321 से 342 तक क्रमांक 4643 पर दिनाँक 02/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मो० तनजीम खां प्रभारी
उप निबंधक : सदर
अंबेडकर नगर
02/07/2022

4598/2022

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP31821139629979U
Certificate Issued Date	:	01-Jul-2022 03:19 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14246104/ AKBARPUR SADAR/ UP-AMB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14246104552311999346O8U
Purchased by	:	MAA SHANTI E T L AKB ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	GATA NO-253 MAUJA-PITHAPUR KUDIYA CHITAUNA TEH-AKBARPUR DISTT-AMBEDKAR NAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAM AKBAL SO VIJAY BAHADUR
Second Party	:	MAA SHANTI E T L AKB ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Stamp Duty Paid By	:	MAA SHANTI E T L AKB ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	7,300 (Seven Thousand Three Hundred only)

E-STAMP LOCKED

SU... AR

...NAGAR

Please write or type below this line

0006033366

Statutory Alert:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

4598 4598/2022

लीज डीड (पट्टा विलेख) तीस वर्ष से अनाधिकत
लीज डीड 30 वर्ष मासिक किराया मु0 5,000/- रूपया वार्षिक किराया
मु0 60,000/- रूपया स्टाम्प कीमती मु0 7300/-
ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP31821139(299790
सहित पन्ना 2 से 7 तक संलग्न है।

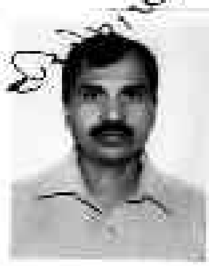

हम कि राम अकबाल पुत्र विजय बहादुर निवासी ग्राम पीथापुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर हाल पता ग्राम कुड़िया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर आधार नम्बर XXXX XXXX 5934, मोबाइल नम्बर 7379019857, पैन नही है प्रथम पक्ष व: माँ शान्ती एजूकेशनल ट्रस्ट, लखैचनपुर परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी रामशिरोमणि वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा निवासी

ग्राम लखैचनपुर परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर आधार नम्बर XXXX XXXX 4926, मोबाइल नम्बर 9838127700, पैन नम्बर XXXXX8565C द्वितीय पक्ष विदित हो कि भूखण्ड संख्या 353 में अपना सम्पूर्ण अंश रकबा 5880 वर्गमीटर जिसकी चौहद्दी पूरब दयाराम वर्मा महाविद्यालय व पश्चिम नाली बादहू चकमार्ग व उत्तर खेत मुक्तार आदि व दक्षिण पक्की सड़क ग्राम कदनापुर को जाने वाली जो स्थित ग्राम **पीथापुर** पोस्ट कुड़िया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर चूंकि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित दयाराम वर्मा कालेज आफ फार्मेसी पीथापुर कुड़िया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर अम्बेडकरनगर के खेल कूद मैदान हेतु भूमि की आवश्यकता है इसलिए अपनी आवश्यकताओं का जिक्र प्रथम पक्ष से किया और वे द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्त पर अपनी उपरोक्त अकृषिक भूखण्ड को

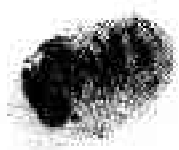

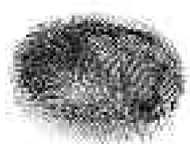

मासिक किराये पर देने को तैयार हो गये। धारा–1–यह कि उक्त भूमि नगर पालिका बाहर है को मु0 5,000/– रूपया मासिक किराया तथा वार्षिक किराया मु0 60,000/– रूपया होता है में 30 वर्ष से अनाधिकत के लिए लीज पर देने के लिए तय पाया गया है। धारा–2–यह कि तयशुदा मासिक किराया द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह की पहली तारीख को अदा करता रहेगा और प्रथम पक्ष जरिये रसीद किराया प्राप्त करता रहेगा। धारा–3–यह कि प्रथम पक्ष अन्दर मियाद 30 वर्ष तक द्वितीय पक्ष के स्वत्व व अधिकार/अधिवास में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। धारा–4–यह कि वाद बीतने मियाद 30 वर्ष द्वितीय पक्ष लीजशुदा सम्पत्ति को यथावत प्रथम पक्ष के हवाले कर देगा। धारा–5–यह कि द्वितीय पक्ष अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा उपरोक्त भूखण्ड जो नगर पालिका के बाहर है यदि उभय पक्ष

सहमत होते है तो लीज की अवधि भविष्य में बढ़ाई जा सकेगी किन्तु नवीनीकरण तभी मान्य होगा जब पक्षकारगण उचित स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क अदा करके नवीन लीज विलेख पंजीकृत करायेंगे, प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। धारा–6–यह कि इस लीज की वैधता 01.07.2022 ई0 से 30.06.2052 ई0 30 वर्ष तक विधिमान्य रहेगी। धारा–7–यह कि तयशुदा मासिक किराया द्वितीय पक्ष नियमित रूप से अदा करता रहेगा तथा किराया न देने अथवा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के कब्जा व दखल में व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होगा कि न्यायहित में वाद प्रस्तुत कर सकता है। धारा–8–यह कि किरायेदारी दयारान

वर्मा कालेज आफ फार्मेसी पीथापुर कुड़िया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर अम्बेडकरनगर के खेल कूद मैदान हेतु रहेगा उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं हो रहा है जो बशक्ल आबादी है। अतएव पक्षकारों ने खूब समझ बूझ कर बिना किसी जोर दबाव के वार्षिक किराया मु0 60,000/– रूपया पर 6 गुना यानि मु0 3,60,000/– रूपया पर नगर पालिका बाहर होने के कारण से 2 प्रतिशत स्टाम्प मु0 7300/– रूपया का अदा किया जा रहा है

अतएव यह लीजडीड लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 01.07.2022 ई0 टाइपकर्ता सन्तोष कुमार व लेखपत्र तैयारकर्ता विनोद कुमार तिवारी दस्तावेज लेखक उपनिबन्धक कार्यालय अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर उजरत नियमानुसार प्राप्त किया।

दस्तावेज लेखक का नाम विनोद कुमार
अनुज्ञप्ति संख्या 4/2011 दि० 31-3-2024 तक
निवास तहसील अकबरपुर जिला-अम्बेडकरनगर
परिचयिक संख्या ....
हस्ताक्षर दस्तावेज लेखक .... दिनांक 1-7-2022

...वेदन सं०: **202200910005809**

... संख्या [illegible] जिल्द संख्या 6605 के पृष्ठ 155 से 178 तक क्रमांक
... पर दिनाँक 01/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जगदम्बा शुक्ल
उप निबंधक : सदर
अंबेडकर नगर
01/07/2022

उप सब रजिस्ट्रार अकबरपुर जिला ...
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश